सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०	"राज्य के सभी विभागों, निदेशालयों एवं प्रतिष्ठानों में वर्ष 2016 से ही लोक सेवकों की प्रोन्नति बाधित है । राज्य के सभी विभागों में सभी सेवा सम्वर्गीय लाखों प्रोन्नतिजन्य पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं । सरकार द्वारा बेसिक ग्रेड के लोक सेवकों को अपनी कोटि के वेतनमान में वरीय पद का कार्य तो लिया जाता है, परंतु उन्हें उक्त पद का मैट्रिक्स लाभ का भुगतान नहीं किया जाता है । यहाँ तक कि राज्य के सभी सेवा संवर्ग के लाखों लोक सेवक बेसिक ग्रेड में सेवा निवृत हो जाते हैं तथा जिस सेवक की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों को देय लाभ का भुगतान भी आनुपातिक होता है । अतएव राज्य के सभी विभागों / निदेशालयों / प्रतिष्ठानों में वर्षों से लंबित प्रोन्नति को लोकहित में अविलंब चालू करने तथा मृत या सेवानिवृत या कार्यरत लोक सेवकों को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमान्यता के आधार पर प्रोन्नति देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	सामान्य प्रशासन

2. श्री मुरारी मोहन झा,
स०वि०स०
श्री मिथिलेश कुमार,
स०वि०स०
श्री अनिल कुमार,
स०वि०स०
श्री लखेंद्र कुमार रौशन,
स०वि०स०
श्री राजेश कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री संजय कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री बीरेन्द्र कुमार,
स०वि०स०
श्री मोती लाल प्रसाद,
स०वि०स०

शिक्षा

"दिनांक-12.12.1980 को कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक-01.01.1990 के प्रभाव से सरकारी विद्यालय, एडेड संस्कृत विद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक विद्यालय एवं एडेड नन माइनॉरिटी विद्यालय के कर्मियों के वेतनमान में पूर्ण समता का सिद्धांत अपनाया जाय । सरकार द्वारा समय-समय पर लाभ भी प्रदान किया गया लेकिन धीरे-धीरे समता का सिद्धांत समाप्त हो गया जिसके कारण संस्कृत शिक्षा समाप्तप्राय हो गई । संस्कृत शिक्षा से जुड़े शिक्षा कर्मियों को जो वेतनमान / अनुदान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । संस्कृत शिक्षा कर्मियों की दुर्दशा पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPAN-1851/15 में दिनांक-13.08.2019 को आदेश पारित किया गया कि तीन महीने के अंदर सरकारी विद्यालय के समकक्ष संस्कृत शिक्षा कर्मी को भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाय लेकिन अभी तक संस्कृत शिक्षण कर्मियों को समान वेतनमान नहीं मिला है ।

अत: कैबिनेट एवं पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप संस्कृत शिक्षा कर्मियों को भी सरकारी शिक्षकों के समरूप वेतनमान दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2021- 899 / वि०स०, पटना, दिनांक- 03 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2021- 899 / वि०स०, पटना, दिनांक- 03 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

3/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
3/3/21